न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 04/2023

अपीलकर्तागण		उत्तरदातागण
1 हतु पत्नी जेठाराम 2 गवरी पत्नी मगाराम जाति प्रजापत निवासी मूढों का तला तहसील बाडमेर 3 भैराराम पुत्र पताराम 4 अमरूदेवी पत्नी जगूराम जाति प्रजापत निवासी कुम्हारों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 सरपंच ग्राम पंचायत मूढों का तला तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री सुरेश चौधरी, वकील अपीलकर्ता पक्ष।

<u>आदेश</u>

दिनांक 04/10/23

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगण की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि मौजा सियागपुरा पटवार हल्का सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1095/865 रकबा 10.2709 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1105/1076 रकबा 11.0803 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। अपीलाधीन भूमि खसरा संख्या 1095/865 रकबा 10.2709 हैक्टेयर में से अपीलान्ट संख्या 01 ने खेतु पुत्री हेमाराम जाति जाट निवासी निम्बाणियों की ढाणी तहसील बायतु व गैरोदेवी पुत्री हेमाराम जाति जाट निवासी सऊओं की बस्ती तहसील धोरीमन्ना से उनके 1/27–1/27 हिस्सा की भूमि प्रतिफल राशि 2,00,000/– रू. अदा कर जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनंक 23.11.2022 को खरीद की तथा खेतु व गेरों ने अपीलान्ट संख्या 01 के पक्ष में पंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया। उक्त खसरा संख्या 1105/1076 कुल रकबा 11.0803 हैक्टेयर में से अपीलान्ट संख्या 02 से 04 के पक्ष में खेतु पुत्री हेमाराम जाति जाट निवासी निम्बाणियों की ढाणी तहसील बायतु व गैरोदेवी पुत्री हेमाराम जाति जाट निवासी सऊओं की बस्ती तहसील धोरीमन्ना से उनके 1/27–1/27 हिस्सा की भूमि प्रतिफल राशि 2,50,000/– रू. अदा कर जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनंक 23.11.2022 को खरीद की तथा खेतु व गेरों ने अपीलान्ट संख्या 01 के पक्ष में पंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया। उक्त बेचानपत्रों की फोटोप्रति पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 87 की कार्यवाही दिनांक 05.12.2022 को प्रारम्भ की गई तथा दिनांक 05.12.2022 को हल्का भू.अ. निरीक्षक से जांच करवाने के बाद उक्त नामान्तकरण पारित करने हेतु ग्राम पंचायत मूढों का तला के समक्ष दिनांक 20.12.2022 को पेश करने पर ग्राम पंचायत द्वारा पुनः जांच कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा बाद जांच ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 20.01.2023 को पेश करने पर बेचान पत्रों तथा भौतिक कब्जे के विरूद्ध जाकर नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक 20.01.2023 को अस्वीकृत कर दिया गया है। उक्त अस्वीकृत नामान्तकरण की जानकारी अपील दर्ज करने पर अपीलकर्तागण को हुई जिसपर अपीलकर्तागण द्वारा नामान्तकरण की नकले दिनांक 12.06.2023 को प्राप्त की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उक्त जानकारी की तिथि से यह अपील अन्दर म्याद धारा 05 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत की है। लिहाजा अपीलकर्ता की अपील स्वीकार की जाकर उतरदाता संख्या 01 द्वारा मौजा सियागपुरा पटवार हल्का सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1095/865 रकबा 10.2709 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1105/1076 रकबा 11.0803 हैक्टेयर भूमि में पंजीबद्ध बेचान पत्र को न मानते हुए अस्वीकृत नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक 12.06.2023 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

वकील अपीलकर्ता द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बेचानपत्रों की फोटोप्रति पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 87 की कार्यवाही दिनांक 05.12.2022 को प्रारम्भ की गई तथा दिनांक 05.12. 2022 को हल्का भू.अ. निरीक्षक से जांच करवाने के बाद उक्त नामान्तकरण पारित करने हेतु ग्राम पंचायत मूढों का तला के समक्ष दिनांक 20.12.2022 को पेश करने पर ग्राम पंचायत द्वारा पुनः जांच कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा बाद जांच ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 20.01.2023 को पेश करने पर बेचान पत्रों तथा भौतिक कब्जे के विरूद्ध जाकर नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक 20.01.2023 को अस्वीकृत कर दिया गया है। उक्त अस्वीकृत नामान्तकरण की जानकारी अपील दर्ज करने पर अपीलकर्तागण को हुई जिस पर अपीलकर्तागण द्वारा नामान्तकरण की नकले दिनांक 12.06.2023 को प्राप्त की गई। उक्त ज्ञान होने पर अपीलान्टगण द्वारा अपील प्रस्तुत की है, जिसे स्वीकार कर अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत म्याद में सुमार करने का निवेदन किया।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उतरदातागण ईकतरफा।

वकील अपीलकर्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज अस्वीकृत नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक 05.12.2022 व दिनांक 20.01.2023 तथा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पंजीबद्ध बेचान पत्रों दिनांक 23.11. 2022 का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पंजीबद्ध बेचान दिनांक 23.11.2022 जो खेतु पुत्री हेमाराम जाति जाट निवासी निम्बाणियों की ढाणी तहसील बायतु व गैरोदेवी पुत्री हेमाराम जाति जाट निवासी सऊओं की बस्ती तहसील धोरीमन्ना से पहल पंजीबद्ध क्रय की गई है तथा उतरतदाता संख्या 01 ने दिनांक 20.01.2023 को भौतिक कब्जा नही होने तथा हिस्सों का विवाद होने का अंकन कर नामान्तकरण संख्या 87 को अस्वीकृत कर दिया है जो विधि सम्मत नही है। भौतिक कब्जा तथा हिस्सों का विवाद न्यायालय से न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए तथा साक्ष्य सबूतों के आधार पर किया जा सकता है। अपीलकर्तागण द्वारा खेतु पुत्री हेमाराम जाति जाट निवासी निम्बाणियों की ढाणी तहसील बायतु व गैरोदेवी पुत्री हेमाराम जाति जाट निवासी सऊओं की बस्ती तहसील धोरीमन्ना के हिस्से को प्रतिफल की राशि अदा करते हुए भूमि को पंजीबद्ध क्रय किया गया है जिसका पंजीयन कार्यालय में पंजीयन भी हो रखा है, उक्त विधि के परिप्रेक्ष्य में

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

दस्तावेजों की जांच कर नामान्तकरण पारित किया जाना था परन्तु उतरदाता संख्या 01 द्वारा अस्वीकृत किया गया जो अनूचित है। लिहाजा मौजा सियागपुरा पटवार हल्का सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1095/865 रकबा 10.2709 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1105/1076 रकबा 11.0803 हैक्टेयर भूमि में उतरदाता संख्या 01 द्वारा अस्वीकृत नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक 20.01.2023 का अपास्त किया जाकर पुनः पंजीबद्ध बेचान के आधार पर नये सिरे से नामान्तकरण पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त अपीलकर्तागण द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 05 म्याद अधिनियम अन्दर म्याद सुमार की जाती है तथा अपील स्वीकार की जाकर मौजा सियागपुरा पटवार हल्का सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1095/865 रकबा 10.2709 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1105/1076 रकबा 11.0803 हैक्टेयर भूमि में उतरदाता संख्या 01 द्वारा अस्वीकृत नामान्तकरण संख्या 87 दिनांक 20.01.2023 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाडमेर को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा सियागपुरा पटवार हल्का सनावड़ा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1095/865 रकबा 10.2709 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1105/1076 रकबा 11.0803 हैक्टेयर भूमि में पंजीबद्ध विक्रय दस्तावेजों की सही जांच कर नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तद्नुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन कर प्रविष्टी दर्ज करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समंदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 04/10/23 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर